न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –49/2022

उनवान

प्रार्थी		**विप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर	बनाम	1. अदरीम पुत्र हकीम 2. नजीबुला पुत्र मुराद 3. मुजीबुला पुत्र मुराद 4. मुराद पुत्र हाजी इसाक 5. मीरू पुत्र मूसा 6. रेखा पुत्र मूसा के कायम मुकाम 6/1 मीरू पुत्र मुसा 6/2 अलीमुराद पुत्र मुसा 6/3 हीबबुल्ला पुत्र गफुर 6/4 साल्या पुत्र गफुर 7. हबीबुला पुत्र मुराद जाति मुसलमान निवासी जाने की बेरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 63(1)(8)88 वास्ते भूमि खालसा करने बाबत।

दिनांक :–20.03.2024

राजस्व वाद संख्या 49/2022

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रामसर ने रा0का0अ0 1955 की
धारा 63(1)(8)88 वास्ते भूमि खालसा करने बावत वाद पेश किया कि मौजा जाने की बेरी पटवार
मण्डल गरड़िया के खसरा संख्या 483/235 रकबा 105.05 बीघा भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 खातेदार
अदरीम पुत्र हकीम द्वारा बिना वैध पार पत्र के अवैध रूप से पाकिस्तान जाने पर इनके हिस्से की
भूमि रकबा 52.12 बीघा को नियमानुसार खालसा कर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने हेतु वाद
इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2022 को दर्ज किया गया।

वाद दर्ज कर जरिये सम्मन विप्रार्थीगण को तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 7 तक
का पूरा परिवार के बिना वैध पार पत्र के अवैध रूप से पाक चला गया इस कारण उनके हिस्से
भूमि की नियमानुसार खालसा की जावें।

विप्रार्थी संख्या 01 के सम्मन पर सुतर सवार तहसील रामसर की रिपोर्ट अनुसार इस नाम
का कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत जाने की बेरी में नही है। विप्रार्थी संख्या 01 के सम्मन की प्रति का
स्थानीय अखवार राजस्थान पत्रिका के संस्करण दिनांक 05.03.2022 में प्रकाशन किया गया।
प्रतिवादी संख्या 1 को उपस्थित होने के र्प्याप्त अवसर के बाद उपस्थित नही होने से एकपक्षीय
कार्यवाही दिनांक 29.03.2022 को अमल में लाई गयी। तहसीलदार रामसर द्वारा वादी साक्ष्य पेश की
गई। दो ग्वाह श्री खंगार खां तथा अब्दुला पेश किये गये । उनके बयान कलमबद्ध किये गये।

उभय पक्ष की वहस सुनी गई। वहस पर मनन किया गया। गवाह बयान प्रार्थीगण पर विचार
किया गया। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया सम्पूर्ण पत्रावली के विवेचन स्पष्ट है कि
विप्रार्थीगण संख्या 1 बिना वैध पार पत्र के अवैध रूप से पाक चला गया था। विप्रार्थीगण द्वारा बिना

सहायक कलक्टर
रामसर

वैध पार पत्र के अवैध रूप से पाक जाने पर उनके नाम की अन्य भूमि ग्राम गरड़िया में खसरा संख्या 164,164/2,273,273/2,व 354 भूमि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के वाद संख्या 26/95 अनवान तहसीलदार रामसर बनाम सुगार में पारित निर्णय दिनांक 03.09.1998 के तहत कब्जा सरकार ली जाकर नामान्तकरण संख्या 461/02.02.1999 के तहत खालसा की जाकर राज्य सरकार के नाम अमल दरामद की जा चुकी है।

समस्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जाने के बेरी पटवार मण्डल गरड़िया तहसील रामसर के खसरा संख्या 483/235 रकबा 105.05 बीघा भूमि में से विप्रार्थी संख्या 01 अदरीम पुत्र हकीम के नाम रकबा 52.12 बीघा भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करें। तदनूसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर, रामसर
दिनांक : 20.3.24
सहायक कलक्टर
रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/1110

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर ।
2. अदरीम पुत्र हकीम वगेराह।

सहायक कलक्टर, रामसर
सहायक कलक्टर
रामसर